

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम अनूपगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

दर्शन सिंह

बनाम कुलश्रीप कौर आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा 88, 108 RT Act

प्रकरण संख्या 35 सन 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2-25/60

तारीख हकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक
6 ⁵ / ₂₅	<p>आज प्रार्थी/वादी की ओर से एक प्रार्थना/वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाये। अप्रार्थी/प्रतिवादी को जरिये नोटिस/सम्मान तलब करके पत्रावली दिनांक 2/6/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	
2 ⁶ / ₂₅	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी रज. 1 न 2 की तलबी हेतु तलबाना रजि. नोटिस पेश होकर तलबी जारी हो। पत्रावली दिनांक 2/6/25 को पेश हो।</p>	
11 ⁷ / ₂₅	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 19/8/25 को पेश हो।</p>	
19/8/25	<p>पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी प्रतिवादी रज. 1 न 2 की तलबी हेतु तलबाना रजि. नोटिस पेश होकर तलबी जारी हो। पत्रावली दिनांक 15/9/25 को पेश हो।</p>	
15 ⁹ / ₂₅	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 17/10/25 को पेश हो।</p>	



12/21

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक..18/11/25
हो पेश हो।

18/11

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक..18/12/25
हो पेश हो।

18/12

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक..29/1/26
हो पेश हो।

29/1/26

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक..27/2/26
हो पेश हो।

अतः प्रकरण
में वादी का
प्रतिवादी गण
के साथ लेख
सीएजीनामा
में जोड़ा है।
अतः प्रकरण में
कोई कार्यवाही
नहीं चलाई है।
दखल
पत्रावली
समय
(संजय कुमार)

27/2/26 पत्रावली प्रस्तुत/वादी वकील
वकील नावी के
व्यापार से निवेदन किया कि
उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी
का लोड सफल से सीएजीनामा
के मध्य है तथा वादी उक्त
प्रकरण में जोड़े प्रपत्रों नहीं
याहल है अतः वादी का वाद
स्वारित किया जाता है पत्रावली
प्रियनाथगार वरिष्ठ दफतर में
दखल करके से उप ही

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़